

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक: 13-8-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

राष्ट्रीय प्राथमिक लक्ष्मीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय जोधपुर जिला, नई दिल्ली द्वारा संकेत सं. 2020-21 हेतु जिला/राज्यीय प्राथमिक लक्ष्मीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में प्राथमिक कार्यलय में बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2020-21 हेतु उपरोक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवी पत्र विचार काले हुए सं. 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सं. 3 में जिला/राज्यीय इन कार्योकी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकाश रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श का निष्पत्तु निर्णय लिया गया -

- निम्नी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्योकी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सं. 2020-21 हेतु पीएलसीआईओ द्वारा उन्हें कक्षाएं अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएलसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्ध अधिकतम पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सं. 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएलसीआईओ द्वारा प्रदात अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सं. 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"


दिनांक 14-08-2020 को उत्तर प्रदेश सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सं. 2020-21 हेतु नियमित करने के अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अधिकतम क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीएलसीआईओ द्वारा सं. 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	निर्धारित/प्राथमिक द्वारा सं. 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	संस्था का नाम जोधपुर जोधपुर जिला/राज्यीय कार्यालय जोधपुर जिला, नई दिल्ली प्राथमिक शिक्षा परिषद।	डिप्लोमा इन कार्योकी	50	50

सम्बद्धता हेतु नई

- ✓ संस्था का नाम/राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय द्वारा निर्धारित की गयी सभी का पूर्ण पत्र सं. 2020-21
- ✓ संस्था का नाम जोधपुर प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद को प्रेषित किया गया, जोधपुर जिला/राज्यीय-उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं जिला/राज्यीय का अनुमोदन काले हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद हेतु सं. 20-2020/- अतिरिक्त, जो जिला/राज्यीय पाठ्यक्रम हेतु सं. 20-2020/- अतिरिक्त एवं एक सं. 20-2020/- अतिरिक्त काले हुए जिला/राज्यीय पाठ्यक्रम से अतिरिक्त हेतु सं. 20-2020

(Handwritten signature)


 DIRECTOR
 IN COLLEGE OF EDUCATION
 UTTAR PRADESH
 LAKHNAU

कार्यवाही,**अखिल अखिलिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या:- अखिलपरिषद सम्बद्धता/2022/7817

अवकाश दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यवाही का:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, भारतीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु विभागीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त अखिलिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यवाही में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विवरण- पाठ्यक्रम- प्रवेश प्रमाण पत्रों सहित अन्य सभी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे नवे निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को अखिलिक शिक्षा परिषद, उा का अवकाश प्रदान सत्र 2022-23 हेतु सिफारिश जारी के उपरान्त पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश सरकार हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम 1058-JAGANNATH COLLEGE OF PHARMACY			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पठ्यक्रम/सिलेबस/सैलरी/आवृं० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश प्रमाण	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश प्रमाण
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पठ्यक्रम/सिलेबस/सैलरी/आवृं० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश अखिलिक शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा अखिलिक शिक्षा परिषद विधिवत्संस्था 1982, विधिवत्संस्था-2000, संशोधन विधिवत्संस्था-2018 तथा प्रवेश-प्रमाण पर निर्भर संस्थाओं का अनुपालन करेगी तथा सुनक निर्देशन समिति द्वारा निर्धारित सुनक तीन वर्षीय इंजीं० पाठ्यक्रमों हेतु स० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु स०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय तकनीकी (दो वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु स०-22500.00/- प्रतिवर्ष सुनक ही प्रारंभिक व्यवस्था से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त व्यवस्थाओं से सुनक के सम्बन्ध में प्रत्येक-प्रमाण पर वास्तव द्वारा निर्भर किये जाने वाले वास्तविक प्रमाणी होती, और अनुसूचक कार्यवाही किया जाता जायगा। तीन निर्देशन समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु नील का पूर्णनिर्धारण किया जाता है, जो नील की कार्यवाही ही करे होगी।
- ✓ संस्था में अनुसूचक प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को प्रवेश-प्रमाण पर निर्भर वास्तविक के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता सुनक प्राप्त कराया होगा।
- ✓ संस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्भर विधिवत्संस्था/अखिलिक/संस्थाओं/निर्देशनों एवं निर्देशक, अखिलिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, अनुसूचक प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखिलिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बसाये गये विभागी, विधिवत्, आदेशों एवं निर्देशनों का पालन करने के लिये कार्यवाही है।